

राजस्थान सरकार,

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांक प.5 (58)कृ.आ./एनएमओओपी/एमएम-III/2017-18/2521  
2564

दिनांक 12-6-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
बायोफ्यूल ऑथोरिटी, योजना भवन, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी एवं सचिव,  
एजोर्प, श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त।

विषय :- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन के अन्तर्गत "कृषकों के खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण" कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण परियोजना के तहत वर्ष 2017-18 में जिलेवार लक्ष्य मय दिशा-निर्देश संलग्न करके भिजवाये जा रहे हैं। आवंटित लक्ष्यों के अनुसार निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन की सुनिश्चितता करावें तथा अर्जित की गई प्रगति से समय-समय पर अवगत कराने की कार्यवाही करावें।

वृक्ष जनित तिलहनों की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य

राज्य में भारत सरकार द्वारा एनएमओओपी योजना के अन्तर्गत मिनी मिशन ऑन TBOs (ट्रीबोर्न ऑइल सीड्स / वृक्ष जनित तिलहन) लागू किया है। राजस्थान में परम्परागत फसलो के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलों के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली फसलों के वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुए सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मिशन काफी हद तक सहयोगी होगा।

राजस्थान में मिनी मिशन-III में नीम, करंज, जोजोबा, महूआ, जेट्रोफा वृक्ष सम्मिलित है। एन.एम.ओ.ओ.पी. के अन्तर्गत वृक्ष जनित तिलहनों के उत्पादन के लिए विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान, प्रावधान के अनुसार दिशा-निर्देश निम्नानुसार है।

चयन हेतु पात्रता एवं आवंटन क्षेत्र :-

1. मिशन गतिविधियों में सहायता/अनुदान के प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें। तथा इस हेतु आवंटित कृषक प्रशिक्षणों का गम्भीरता से आयोजन किया जावें।
2. मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यथासंभव सघन क्लस्टर के रूप में किया जावें। इसके लिये कृषकों का चयन यथासंभव समूह के रूप में किया जावें।
3. मिशन में सभी कार्यक्रम/ गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे।

4. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
5. मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावे।
6. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कृषक/ लाभार्थी चयन में आधुनिक हाई-टेक फसल उत्पादन तकनीक एवं ड्रिप संयंत्र पद्धति आदि अपनाने के इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
7. मिशन में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चिता करावे।
8. मिशन के क्रियान्वयन में सहयोग के लिये कृषि विश्वविद्यालय, बायोफ्यूल ऑथोरिटी एवं एजोर्प से सम्पर्क किया जावे। बायोफ्यूवल ऑथोरिटी के न. 9461164426 आर.ओ.सी.एल. के न. 0141-2554106 एजोर्प के न. 9929606427 एवं तकनीकी जानकारी के लिये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ.पी.सी.चपलोट के मो.न. 9414497656 से सम्पर्क कर सकते है।
9. जोजोबा का वृक्षारोपण एजोर्प के माध्यम से किया जाना है।
10. बायोफ्यूल ऑथोरिटी, जयपुर को पूर्व में स्थानान्तरित राशि में से बची हुई राशि की सीमा तक नीम, करंज, महुआ, जेट्रोफा आदि का वृक्षारोपण करेंगे।
11. कृषि आयुक्तालय से प्राप्त भौतिक लक्ष्य बायोफ्यूल ऑथोरिटी, जयपुर अपने स्तर पर बदलाव कर सकता है एवं जिले की जलवायु के आधार पर Plant species में भी inter change कर सकते है।
12. वर्ष 2017-18 से वृक्ष जनित तिलहनों जैसे नीम, करंज, महुआ एवं जेट्रोफा का पौधरोपण सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् द्वारा सीधे ही किया जायेगा।
13. सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिए गए गाँवों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

मिशन के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुदान:-नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान देय है -

1. पौधरोपण पर अनुदान- वृक्षारोपण (Plantation) के लिये अधिकतम कीमत का 100 प्रतिशत अथवा निम्न सारणी के अनुसार जो भी कम हो अनुदान देय है:-

सारणी-1

क्र. स.	वृक्ष का नाम	वृक्षों की संख्या / प्रति है०	वृक्षारोपण की कीमत प्रति है० (राशि रू०)
1	नीम	400	17,000
2	जोजोबा *	1513	35,000
3	करंज	500	20,000
4	महुआ	200	15,000
5	जेट्रोफा	2500	41,000

\*ड्रिप संयंत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार देय होगी।

\*जोजोबा के 1513 पौधों (250 बीजू पौधे एवं 25 पौधे बीजू गैपफिलिंग तथा 1125 मादा पौधे रूटेड कटिंग एवं 113 पौधे मादा रूटेड कटिंग गैपफिलिंग, कुल 1513 पौधे) में नर, मादा एवं गैपफिलिंग के पौधे सम्मिलित हैं।

2. संधारण पर अनुदान -वृक्ष जनित तिलहनों के संधारण हेतु निम्न सारणी के अनुसार प्रति वर्ष अनुदान देय होगा :-

सारणी-2

क्र. स.	वृक्ष का नाम	गेस्टेशन पीरियड(वर्ष)	गेस्टेशन पीरियड के दौरान संधारण हेतु प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ष देय (राशि रू०) में
1	जेट्रोफा	2	3200
2	जोजोबा	4	3200
3	करंज	4	2000
4	महुआ	8	2000
5	नीम	5	2000

3. वृक्ष जनित तिलहनों के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान-मिनीमिशन-III के अन्तर्गत लगाए गए वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य हेतु 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर भी (पौधो की पुष्प अवस्था तक) अनुदान देय होगा।

